

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं० स०-04/STA-(विविध)-18/2026

पटना, दिनांक-

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की दिनांक-09.02.2021 को आहूत बैठक में लिए गये नीतिगत निर्णय के आलोक में परमिट से संबंधित विविध कार्यों हेतु वाहन से संबंधित समर्पित कागजातों की सत्यता के संबंध में वाहन स्वामियों द्वारा विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र समर्पित किये जाने को अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा भी परमिट से संबंधित विविध कार्यों हेतु शपथ-पत्र लिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Ease of doing business के तहत परिवहन विभाग के अन्तर्गत नागरिकों को सुलभ रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वांछित कागजातों को सरलीकृत किये जाने/शिथिल किये जाने का परामर्श दिया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में विभाग के संज्ञान में यह तथ्य दृष्टिगोचर हुए हैं कि परमिट के विभिन्न कार्यों हेतु शपथ-पत्र की अनिवार्यता है एवं समर्पित कागजातों का सत्यापन वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। अतः निर्धारित शपथ-पत्र को शिथिल किये जाने पर आम नागरिकों को परमिट से संबंधित कार्य सुलभ रूप में उपलब्ध हो सकेंगे।

उपर्युक्त परामर्श के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम की धारा-67(2) के परन्तुक के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार सहित सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के स्तर से निष्पादित किये जाने वाले परमिट से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु शपथ-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनसे स्व-अभिप्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य समर्पित करने की व्यवस्था की जाए।

u

ह०/-

(राज कुमार)

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

6948

पटना, दिनांक- 24-08-26

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं० स०-04/STA-(विविध)-18/2026

पटना, दिनांक-

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की दिनांक-09.02.2021 को आहूत बैठक में लिए गये नीतिगत निर्णय के आलोक में परमिट से संबंधित विविध कार्यों हेतु वाहन से संबंधित समर्पित कागजातों की सत्यता के संबंध में वाहन स्वामियों द्वारा विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र समर्पित किये जाने को अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा भी परमिट से संबंधित विविध कार्यों हेतु शपथ-पत्र लिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Ease of doing business के तहत परिवहन विभाग के अन्तर्गत नागरिकों को सुलभ रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वांछित कागजातों को सरलीकृत किये जाने/शिथिल किये जाने का परामर्श दिया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में विभाग के संज्ञान में यह तथ्य दृष्टिगोचर हुए हैं कि परमिट के विभिन्न कार्यों हेतु शपथ-पत्र की अनिवार्यता है एवं समर्पित कागजातों का सत्यापन वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। अतः निर्धारित शपथ-पत्र को शिथिल किये जाने पर आम नागरिकों को परमिट से संबंधित कार्य सुलभ रूप में उपलब्ध हो सकेंगे।

उपर्युक्त परामर्श के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम की धारा-67(2) के परन्तुक के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार सहित सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के स्तर से निष्पादित किये जाने वाले परमिट से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु शपथ-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उनसे स्व-अभिप्रमाणित अभिलेखीय साक्ष्य समर्पित करने की व्यवस्था की जाए।

ह०/-

(राज कुमार)

सरकार के सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

6948

पटना, दिनांक- 24-08-26

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।